

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग 2

कोषागार प्रपत्र - 209 (1)

प्रपत्र संख्या 43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
- पता

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया- शाखा औरैया।

श्री श्रीस कुमार वैश्य, जनपद न्यायाधीश, औरैया
जनपद न्यायालय औरैया।

जनपद न्यायालय औरैया।

- पंजीकरण संख्या/पद का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है। तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

- चालान की समस्त राशि
- चालान की निश्चित राशि
- लेखा शीर्षक का पूर्ण वितरण/लेखा शीर्षक की मुहर

- लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

राजकीय वाहन इनोवा वाहन सं०- यू०पी० 79 जी 0257 से माह जुलाई 2024 में निजी कार्य से चली 1149 किमी. जिसमें 200 किमी० का लाम लेते हुए शेष 949 किमी० का भुगतान रु 3.00 प्रति किमी० की दर से कुल धनराशि 2,847/- जमा करने हेतु

0070-60-800-00

0070-60-800-00

मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य लेखा शीर्षक

0 0 7 0

6 0

लघु शीर्षक

8 0 0

उप शीर्षक

0 0

व्योरेवार शीर्षक

0 0

धनराशि अंको में

Rs. 2,847/-

Rs. 2,847/-

Rs. 2,847/-

धनराशि शब्दों में-रुपये दो हजार आठ सौ रैंतालिस मात्र शेष-

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

District Judge
AURAIYA
30/7/24

पिनयुक्तुपति
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

चालान संख्या **GU 50242**

दिनांक

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ अंको में

नकद प्रो. बैंक औरिया शाखा-0011
Salil Kumar 5910803

30 JUL 2024

नकद प्राप्त भुगतान/अन्तरगत
जोष के-क
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

प्राप्त किया
उपकोषागार/बैंक की मुहर